

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद

मार्ग के वन भूमि से गुजरने का प्रमाण – पत्र

कार्य का नाम – अपग्रेसन कस्बाथाना से बमनगावा

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त सडक वन क्षेत्र से गुजरती है। प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात ही उक्त सडक का निर्माण कराया जा सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि में नयी स्वीकृत सडक बनाई जावेगी।



अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद